संख्या-508/2017/1960/22-2-2016-17(189)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 30 जून, 2017**

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ. में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी फूलमती पत्नी श्री रामभजन, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी फूलमती पत्नी श्री रामभजन, ग्राम कुसैला, थाना महोली, जनपद-सीतापुर की निवासी है। बन्दिनी ने दिनांक 10.05.2001 को प्रात: लगभग 07.00 बजे जमीन के बंटवारे व पूर्व में दर्ज एफ0आई0आर0 की रंजिश में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, लोहे की राड, चाकू व अंगौछा से सुन्दरलाल की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-91/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 ए0डी0एस0जे0/एफ0टी0सी0-3, सीतापुर के आदेश दिनांक 31.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2012 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.09.2015 तक 14 वर्ष 02 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 16 वर्ष 10 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने महिला बन्दिनी द्वारा जघन्य अपराध कारित किए जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, महिला बन्दिनी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि महिला बन्दिनी द्वारा 03 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर जमीन बंटवारे व पूर्व में दर्ज एफ0आई0आर0 की रंजिश में लाठी, लोहे की राड, चाकू व अंगौछा से सुन्दरलाल की हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार महिला बन्दिनी की आयु-59 वर्ष 08 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रकार महिला बन्दिनी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बन्दिनी फूमती पत्नी श्री रामभजन, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दिनी फूलमती (बन्दी संख्या-1296/एन.बी.एन.) पत्नी श्री रामभजन, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-508/2017/1960(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-508/2017/1960@22-2-2016-17(189)/2017

दिनांक 30 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध महिला बन्दिनी फूलमती (बन्दी संख्या-1296/एन.बी.एन.) पत्नी श्री रामभजन, ग्राम कुसैला, थाना महोली, जनपद-सीतापुर की निवासी है। बन्दिनी ने दिनांक 10.05.2001 को प्रात: लगभग 07.00 बजे जमीन के बंटवारे व पूर्व में दर्ज एफ0आई0आर0 की रंजिश में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, लोहे की राड, चाकू व अंगौछा से सुन्दरलाल की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-91/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 ए0डी0एस0जे0/एफ0टी0सी0-3, सीतापुर के आदेश दिनांक 31.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2012 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.09.2015 तक 14 वर्ष 02 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 16 वर्ष 10 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने महिला बन्दिनी द्वारा जघन्य अपराध कारित किए जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, महिला बन्दिनी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि महिला बन्दिनी द्वारा 03 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर जमीन बंटवारे व पूर्व में दर्ज एफ0आई0आर0 की रंजिश में लाठी, लोहे की राड, चाकू व अंगौछा से सुन्दरलाल की हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार महिला बन्दिनी की आयु-59 वर्ष 08 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार महिला बन्दिनी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बन्दिनी फूमती पत्नी श्री रामभजन, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in